भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1952

(जिसका उत्तर मंगलवार, 13 मार्च, 2018 को दिया गया) गायब हो जाने वाली कंपनियों की कम संख्या की सूचना

1952. श्री माजीद मेमन :

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि समन्वय और निगरानी समिति (सी.एम.सी) गत कई वर्षों से 'गायब हो जाने वाली कंपनियों' की कम संख्या की सूचना देती रही है;
- (ख) यदि हा, तो अब तक मंत्रालय ने कितनी इकाइयों को 'गायब हो जाने वाली कंपनियां' घोषित किया है और कितनी ऐसी कंपनियों का हवाला दिया है और उनका पता लगाया है;
- (ग) एम.सी.ए. के अंतर्गत कंपनी रजिस्ट्रार (आर.ओ.सी.) द्वारा पंजीकरण रद्द की गई विभिन्न कंपनियों तथा अब तक 'गायब हो जाने वाली कंपनियों' के रूप में निष्क्रिय कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) धनशोधन करने वालों, एंट्री ऑपरेटों और अन्य संदिग्ध तत्वों पर अंक्श लगाने के प्रयोजन से सी.एम.सी. का प्नरुद्धार कने हेत् सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री पी. पी. चौधरी)

- (क) और (ख): जी नहीं, समन्वय और निगरानी समिति (सीएससी) का गठन उन सूचीबद्ध कंपनियों के लिए किया गया है जो वर्ष 1992 से 2005 के दौरान पब्लिक इश्यू के बाद लुप्त हो गई थी। "238 सूचीबद्ध कंपनियां जिनकी पहचान ल्प्त कंपनियों के रूप में की गई है, मंत्रालय और विधि प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयासों से ऐसी 161 कंपनियों का पता लगाया गया और 77 अन्य कंपनियां अभी भी लुप्त कंपनियों की सूची में हैं। ऐसी कंपनियों, उनके निदेशकों/प्रवर्तकों के खिलाफ कंपनी विधि और आपराधिक विधि के तहत कार्रवाई चल रही है।"
- (ग): ऐसी कंपनियां, जिनके नाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत रजिस्टर से काटे गए, सूचीबद्ध कंपनियां नहीं हैं। इसलिए वे "ल्प्त कंपनियों" की परिभाषा के दायरे में नहीं आती हैं। क्षेत्रीय शेयर बाजारों को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के उन आदेशों, जो सेबी की कार्यप्रणालियों/आदेशों के अतिरिक्त उसमें सूचीबद्ध कंपनियों के स्तर को प्रभावित नहीं करते हैं; के तहत बंद कर दिया गया है।
- (घ): समन्वय और निगरानी समिति (सीएमसी) अब भी सक्रिय है और दिनांक 11.07.2017 को इसकी 30वीं बैठक आयोजित की गई थी।
